न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 9 ए / 2022 / दावा 136 एलआरएक्ट

1 पेमाराम पुत्र मोटा

2 बाबूलाल पुत्र पोखर मल

समस्त जाति जाट निवासी करीरों की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीगण

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा व रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड वकील वादीगण की ओर सें।

नि र्ण य   दिनांक– 14.07.2022

1. वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 2011 ता 2018, 2020, 2022 ता 2028 कुल किता 16 कुल रकबा 5.74 है0 वाके ग्राम करीरों की ढाणी तन बानूडा पटवार हल्का बानूडा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने व वाका भी वही का होने से उक्त वाद श्रीमानजी श्रवणाधिकार व क्षेत्राअधिकार में सादर प्रस्तुत है। वादीगण जाति जाट से है तथा राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादीगण की जाति जांगिड दर्ज कर दी गई, राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से वादीगण की जाति जाट की जगह जाति जांगिड लिख दिया जिसकी वजह से वादीगण सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं ले पा रहे है तथा वादी संख्या 2 के पिता पोखरराम की विरासत का नामान्तरण भी गलत जाति दर्ज होने की वजह से नहीं भरा जा रहा है, वादीगण ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपने नाम की जमाबंदी निकलवायी तो पता चला की जाति जाट की जगह जांगिड कर दिया गया तथा उसके अन्य जमाबन्दी में वादीगण संख्या 1 पेमाराम पुत्र मोटा राम जाति जाट तथा वादीगण संख्या 2 के पिता का नाम पोखरराम पुत्र मोटा जाति जाट दर्ज है तथा छोटी देवी पत्नि पोखर राम जाति जाट अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत बानूडा पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर राज. के पहचान प्रमाण पत्र क्रम संख्या SPL/2021 दिनांक 05.07.2021 के जारी प्रमाण पत्र में जाति जाट है जबकि उक्त आराजियात की जमाबन्दी में जाति जांगिड है जिसको दुरूस्त कर जाति जाट किया जाना अति आवश्याक व

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

न्यायोचित है। उपरोक्त वर्णित भूमियों में वादीगण की जाति जांगिड राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज है जबकि वादीगण की अन्य जमाबन्दी में जाति जाट है वादीगण की जाति जाट है जो कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से जाति जाट के स्थान पर जांगिड कर दिया जो गलत है, जबकि वादीगण की सही जाति जाट है वादीगण अन्य जमाबन्दी प्रतिलिपि खाता संख्या 102 पुराना खाता संख्या 100 आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत बानूडा पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर राज. के पहचान प्रमाण पत्र क्रम संख्या SPL/2021 दिनांक 05.07.2021 के जारी प्रमांण पत्र में जाति जाट है, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजियात में उसकी जाति जांगिड है, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन व लापरवाही से जाति जांगिड दर्ज हो गया जो गलत है, इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादीगण की सही जाति जाट उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण की जाति जांगिड नाम दर्ज हो गयी जो गलत है प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित है कि वादीगण की वास्तविक जाति जाट है जो सही व दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण की जाति जाट है जो खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी प्रतिलिपित खाता संख्या 102 पुराना खाता संख्या 100, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत बानूडा पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर राज. के पहचान प्रमाण पत्र क्रम SPL/2021 दिनांक 05.07.2021 के जारी प्रमाण पत्र में जाति जाट है तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात में जाति जांगिड होने की वजह से वादीगण सरकारी सहायता व योजनाओं को प्राप्त करने से वंचित रह रहा है। वादीगण उक्त जाति जाट दुरूस्ती हेतु आज से 4–5 रोज पहले तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने स्वयं उक्त संशोधन करने से मना कर श्रीमान् के समक्ष वाद दायर करने के लिए कहा जिसकी वजह से उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा वादीगण की जाति जाट दुरूस्ती करने में असमर्थता जाहिर करने से वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 2011 ता 2018, 2020, 2022 ता 2028 कुल किता 16 कुल रकबा 5.74 है0 वाके ग्राम करीरों की ढाणी तन बानूडा पटवार हल्का बानूडा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीगण पेमाराम पुत्र मोटाराम व पोखरमल पुत्र मोटाराम जाति जांगीड की जगह जाति जाट दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीगण पेमाराम पुत्र मोटाराम व पोखरमल पुत्र मोटाराम जाति जांगीड़ की जगह जाति जाट दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम करीरों की ढाणी पटवार मण्डल बानूडा के आराजी ख.नं. 2011 लगायत 2018, 2020, 2022 लगायत 2028 किता 16 रकबा 5.74 है0 पेमाराम पुत्र मोटा हि. 1/20 जाति जांगिड तथा पोखरमल पुत्र मोटा हि. 1/20 जाति जांगिड सा. देह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी मजमे आम में जानकारी करने पर पेमाराम, पोखरमल पिता मोटा कि जाति जाट है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार पेमाराम पोखरमल पिता मोटा कि जाति जांगिड के बजाय जाट शुद्व किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीगण का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 2011 ता 2018, 2020, 2022 ता 2028 कुल किता 16 कुल रकबा 5.74 है0 वाके ग्राम करीरों की ढाणी तन बानूडा पटवार हल्का बानूडा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी पेमाराम पुत्र मोटाराम जाति जांगीड तथा वादी बाबुलाल पुत्र पोखर के पिता पोखरराम पुत्र मोटा जाति जांगीड़ के स्थान पर वादी पेमाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट तथा वादी बाबुलाल पुत्र पोखर के पिता पोखरमल पुत्र मोटाराम की जाति जाट दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/7/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर
इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

पेमाराम बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 9 ए/दावा सन् 2022 निर्णय दिनांक 14.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री आनन्द राड़ मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 2011 ता 2018, 2020, 2022 ता 2028 कुल किता 16 कुल रकबा 5.74 है0 वाके ग्राम करीरों की ढाणी तन बानूडा पटवार हल्का बानूडा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी पेमाराम पुत्र मोटाराम व बाबुलाल पुत्र पोखर के पिता पोखरमल पुत्र मोटाराम जाति जांगीड के स्थान पर वादी पेमाराम पुत्र मोटाराम व वादी बाबुलाल के पिता पोखरमल पुत्र मोटाराम की जाति जाट संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.07.2022 को जारी की गई।

14/7/22

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ